

परिशिष्ट-II

ग्राम विकास परियोजना कार्यालय..... ५०१३

जिला पूर्वी - चम्पारण

डाप सं. 11

दिनांक 29/08/11

चयन पत्र

श्रीमती..... पति श्री चन्द्रशेखर राम
 ग्राम..... की स्थायी निवासी
 है का आँगनवाड़ी सेविका/सहायिका के रूप में ग्राम/टोला/मुहल्ला..... के
 आँगनवाड़ी केन्द्र (कोड सहित)..... के
 सेवा क्षेत्र के लिए दिनांक 16/07/11 को आयोजित लाभुकों की सभा में लिये गये निर्णय तथा परियोजना
 पदाधिकारी..... के प्रतिवेदन के आलोक में चयन किया जाता है।

2. आपका चयन सेविका/सहायिका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्धारित मापदंडों एवं आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचनाएँ/प्रमाण पत्र के आधार पर किया गया है, अगर भविष्य में उक्त सूचनाएँ/प्रमाण पत्र गलत पाये जाते है या आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का संतोषप्रद ढंड से निर्वहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते हुए आपको कार्यमुक्त किया जा सकता है। कार्यमुक्त होने की स्थिति में पुनः उसी या अन्य किसी आँगनवाड़ी केन्द्र पर सेविका/सहायिका के पद के लिए आपका दावा मान्य नहीं होगा सम्बन्ध न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में पारित आदेश के आलोक में पुनर्बहाल किया जा सकेगा।

3. सेविका/सहायिका के रूप में आपका चयन केन्द्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही किया जा रहा है।

4. यह एक स्नातकिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु सामाजिक कार्य करने के लिए इच्छुक रहने संबंधी घोषणा के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं केन्द्र के संचालनार्थ किये गये कार्य का दावा सरकारी नोकरी का आधार नहीं होगा।

एक प्रति पाई
 सुशकु कुमारी

(Signature)
 ग्राम विकास परियोजना कार्यालय

परिशिष्ट-II

ग्राम विकास परियोजना कार्यालय

जिला

20 40

शाप सं.

39-2

दिनांक

16/02/19

चयन पत्र

श्रीमती सुनीता देवी पति श्री विष्णु राम
ग्राम परसौनी पुर पो. की स्थायी निवासी
ई का आंगनवाड़ी सेविका/सहायिका के रूप में ग्राम/टोला/मुहल्ला परसौनी पुर के
आंगनवाड़ी केन्द्र (कोड सहित) के
सेवा क्षेत्र के लिए दिनांक को आयोजित लामुकों की समा में लिये गये निर्णय तथा परियोजना
पदाधिकारी के प्रतिवेदन के आलोक में चयन किया जाता है।

2. आपका भ्रमर सेविका/सहायिका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों एवं आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचनाएँ/प्रमाण पत्र के आधार पर किया गया है, अगर भविष्य में उक्त सूचनाएँ/प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं या आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का संतोषप्रद ढंड से निर्वहन नहीं किया जाता है तो आपका भ्रमर रद्द करते हुए आपको कार्यमुक्त किया जा सकता है। कार्यमुक्त होने की स्थिति में पुनः उती या अन्य किसी आंगनवाड़ी केन्द्र पर सेविका/सहायिका के पद के लिए आपका दावा मान्य नहीं होगा समस्त न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में पारिश्रम अवेस के आलोक में पुनर्बहाल किया जा सकेगा।

3. सेविका/सहायिका के रूप में आपका चयन केन्द्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही किया जा रहा है।

4. यह एक सामाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु सामाजिक कार्य करने के लिए इच्छुक रहने संबंधी वाक्या के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं केन्द्र के संचालनार्थ किये गये कार्य का दावा सरकारी नौकरी का आधार नहीं होगा।

सुनीता देवी

परिशिष्ट-II

ग्राम विकास परियोजना कार्यालय पताही

जिला पूर्वी 2444(P)

क्रमांक 243

दिनांक 23/08/13

चयन पत्र

श्रीमती सिन्धु देवी पति श्री अजय कुमार

ग्राम बेलौना जमहरिया पो की स्थायी निवासी है

यहाँ आंगनवाड़ी सहायिका के रूप में ग्राम/टोला/मुहल्ला वर्ड 08

आंगनवाड़ी केन्द्र (विश्व सहित) 97

सेवा क्षेत्र के लिए दिनांक 16/08/13 को आयोजित सामुहिक चयन में लिये गए निर्णय तक

परियोजना कार्यालय पताही के प्रतिवेदन 1 प्रमाण पत्र

चयन किया जाता है।

- आपका चयन सहायिका/सहायिका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आई सी सी एस निदेशालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचनाएं/प्रमाण पत्र के आधार पर किया गया है। अगर भविष्य में चयन सूचनाएं/प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं या आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का संतोषप्रद ढंग से निर्वहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते हुये आपको कार्यमुक्त किया जा सकता है। कार्यमुक्त होने की स्थिति में पुनः उसी या अन्य किसी आंगनवाड़ी केन्द्र पर सेवा/सहायिका के पद के लिए आपका दावा मान्य नहीं होगा। शक्य न्यूनतम द्वारा ऐसे मामलों में पारित आदेश के आलोक में पुनर्बहाल किया जा सकेगा।
- सहायिका/सहायिका के रूप में आपका चयन केन्द्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही किया जा रहा है।
- यह एक सामाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु सामाजिक भाव्य करने के लिए प्रोत्साहन एवं सहायता के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं केन्द्र के संचालनाधीन किए गए कार्य पर राज्य सरकार नकरी का आधार नहीं होगा।

मैं चयन पत्र का
 मूल प्रति लिखि पाई
 सिन्धु देवी (सेविका)
 केन्द्र संख्या - 97

ग्राम विकास परियोजना कार्यालय
 नाम एवं हस्ताक्षर (मुख्य अधिकारी)
 पताही (पूर्वी बंगाल)

परिशिष्ट - II

बाल विकास परियोजना कार्यालय पतखी

जिला पूर्वी चम्पारण

जाय सं० 233-1

दिनांक 16/08/13

चयन पत्र

श्रीमती रेणु देवी पति श्री मनोम दुबे राव जी
 ग्राम नौनपलवां वार्ड नं० 09 प्रो. को स्थायी निवासी है,
 का आंगनवाड़ी सेविका/सहायिका के रूप में ग्राम/टोला/मुहल्ला वार्ड 09
 आंगनवाड़ी केंद्र (कोड सहित) 119 के
 सेवा क्षेत्र के लिए दिनांक 13/08/13 को आयोजित लाभुकों की सभा में लिये गये निर्णय तथा
 परियोजना प्रदाताकारों पतखी के प्रतिवेदन के आलोक में
 चयन किया जाता है।

- आपका चयन सेविका/सहायिका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्धारित मापदंडों एवं आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचनाएँ/प्रमाण पत्र के आधार पर किया गया है, अगर भविष्य में उक्त सूचनाएँ/प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं या आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का संतोषप्रद ढंग से निर्वहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते हुये आपको कार्यमुक्त किया जा सकता है। कार्यमुक्त होने की स्थिति में पुनः उसी या अन्य किसी आंगनवाड़ी केंद्र पर सेविका/सहायिका के पद के लिए आपका दावा मान्य नहीं होगा। सक्षम न्यायपालन्य द्वारा ऐसे मामलों में पारित आदेश के आलोक में पुनर्वहाल किया जा सकेगा।
- सेविका/सहायिका के रूप में आपका चयन केंद्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही किया जा रहा है।
- यह एक सामाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु सामाजिक कर्तव्य करने के लिए है। इस चयन एवं केंद्र के संचालनाथ लिये गये कार्य का आपका सकारात्मक नौकरी का आधार नहीं होगा।

श्री अरुणा चयन पत्र प्राप्ति

रेणु देवी

(Signature)
 बाल विकास परियोजना प्रदाताकारों का
 नाम एवं हस्ताक्षर के साथ
 Patahi, East Champaran

परिशिष्ट-II

बाल विकास परियोजना कार्यालय परुषी

जिला पूर्वी चम्पारण

क्रमांक सं० 242

दिनांक 23/08/13

चयन पत्र

श्रीमती निलम देवी पति बलराम मधु जो
 ग्राम ठौरना ~~अधिका~~ पो वर्ग, 03 की स्थायी निवासी है,
 का अंगनवाड़ी ~~अधिका~~ / सहायिका के रूप में ग्राम / टोला / मुहल्ला वर्ग, 03
 अंगनवाड़ी केन्द्र मिनी सहित) को आयोजित लामुकों की सभा में लिये गये निर्णय तथा
 सेवा क्षेत्र के लिए दिनांक 16/8/13 को परियोजना कार्यालय परुषी के प्रतिनिधन ई आलाोक में
 चयन प्राप्त हुआ है।

- आपका चयन आधिका / सहायिका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्वाचित मापदंडों एवं आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचनाएँ / प्रमाण पत्र के आधार पर किया गया है। अगर भविष्य में सूचनाएँ / प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं या आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का संतोषप्रद ढंग से निर्वहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते हुये आपको कार्यमुक्त किया जा सकता है। कार्यमुक्त होने की स्थिति में एक उसी का प्रत्य किसी अंगनवाड़ी केन्द्र पर सेवा / सहायिका के पद के लिए आपका दावा मान्य नहीं होगा। सरकार / निदेशालय द्वारा ऐसे नामलों में पारित आदेश के आलाोक में पुनर्बहाल किया जा सकेगा।
- आधिका / सहायिका के रूप में आपका चयन केन्द्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही किया जा रहा है।
- यह एक सामाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु सामाजिक कार्य करने के लिए है। इस चयन एवं केन्द्र के संचालनार्थ किये गये कार्य का दावा सरकारी नौकरी का आधार नहीं होगा।

चयन पत्र का रूड
 प्रति लिपि माई
निलम देवी
 (सेविका)

बाल विकास परियोजना कार्यालय का
 नाम एवं हस्ताक्षर (मुहर के साथ)

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
(समेकित बाल विकास सेवाएँ निदेशालय)
(सेविका/सहायिका चयन सम्बन्धी मार्गदर्शिका-2011 देखें)

बाल विकास कार्यक्रमों का कार्यालय जिला
ज्ञाप संख्या : दिनांक

चयन पत्र

- श्रीमती की पति
जो ग्राम पो. की स्थायी निवासी हैं,
का आँगनवाड़ी सेविका/सहायिका के रूप में ग्राम/टोला/मुहल्ला
के आँगनवाड़ी केंद्र (कोड सहित) के सेवा क्षेत्र के लिए
दिनांक को आयोजित वार्ड की आमसभा में लिये गये निर्णय के आलोक में चयन किया जाता है।
- आपका बाल सेविका/सहायिका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आई०सी०डी०एस० निदेशालय द्वारा निर्धारित चयन मार्गदर्शिका-2011 एवं आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / प्रमाण पत्र के आधार पर किया गया है। अगर भविष्य में उक्त सूचनायें / प्रमाण पत्र गलत पाये हैं या आपके द्वारा अपने कर्तव्यों के संतोषप्रद ढंग से निर्वहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते हुए आपको कार्यमुक्त किया जा सकता है। कार्यमुक्त होने की स्थिति में पुनः उसी या अन्य किसी आँगनवाड़ी केंद्र पर सेविका/सहायिका के पद के लिए आपका दावा मंजूर नहीं होगा। सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में पारित आदेश के आलोक में पुनर्चयनित किया जा सकेगा।
- सेविका/सहायिका के रूप में आपका चयन केंद्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही किया जा रहा है।
- यह एक सामाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु सामाजिक कार्य करने के लिए इच्छुक रहने की घोषणा के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं केंद्र के संचालनार्थ लिये गये कार्य का दावा सरकारी नौकरी का आधार नहीं होगा।

एक मात्र पद
शारदा कुमारी

बाल विकास प्रयोजन सेविका/सहायिका
नाम एवं हस्ताक्षर (गृहीतबोधोपयोग)

परिशिष्ट-II

बाल विकास परियोजना कार्यालय पताही

जिला पूर्वी चम्पारण

साम.सं० 233

दिनांक 16/08/13

चयन पत्र

श्रीमती रमावती देवी पति श्री दिनाबाथ राम
 ग्राम बखरी, चम्पारण पो. को रक्षाधीनियाराही
 का आंगनवाड़ी सेविका/सहायिका के रूप में ग्राम/टोला/मुहल्ला वाड 12
 आंगनवाड़ी केंद्र (कांड सहित) मिनी
 सेवा क्षेत्र के लिए दिनांक 16/08/13 को आयोजित लामुकों की समा में लिए गये निर्णय तथा
 परियोजना पर्याप्तकारी पताही के प्रतिवेदन के आलोक में
 चयन किया जाता है।

- आपका चयन सेविका/सहायिका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्धारित मापदंडों एवं आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचनाएँ/प्रमाण पत्र के आधार पर किया गया है। अगर भविष्य में इसका सूचनाएँ/प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं या आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का सतोषपूर्वक रूप से निर्वहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते हुये आपको कार्यमुक्त किया जा सकता है। कार्यमुक्त होने की स्थिति में पुनः इसी या अन्य किसी आंगनवाड़ी केंद्र पर सेविका/सहायिका के पद के लिए आपका दावा मान्य नहीं होगा। सहान न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में पारित आदेश के आलोक में पुनर्बहाल किया जा सकेगा।
- सेविका/सहायिका के रूप में आपका चयन केंद्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही किया जा रहा है।
- यह एक सामाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु सामाजिक कार्य करने के लिए स्वयंसेवक बनने संबंधी घोषणा के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं केंद्र के संचालनाधीन किये गये कार्य का दावा सरकारी नौकरी का आधार नहीं होगा।

३३३ एक प्रति पाया
 रमावती कुमारी

बाल विकास परियोजना कार्यालय का
 नाम एवं हस्ताक्षर (मुख्य कार्यकारी अधिकारी)
 पताही, पूर्वी चम्पारण

परिशिष्ट-II

बाल विकास परियोजना कार्यालय पतली

जिला मुरी चम्पारण

क्रमांक 243

दिनांक 23/08/13

चयन पत्र

श्रीमती सिन्धु देवी पति श्री राजब लाल

ग्राम बेतौना जमहरा पो. की खायी निवासी है.

क. अंगनवाडी सहायिका के रूप में ग्राम/टोला/मुहल्ला वाई 08

अंगनवाडी केन्द्र (पेड सहित) 97

सेवा क्षेत्र के लिए दिनांक 16/08/13 को आयोजित लानुकों की सभा में लिये गए निर्णय तथा

परिचय पत्रिका के प्रस्तुतन के आलोक में

चयन किया जाता है.

- 2. आपका चयन आपका/सहायिका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आई सी सी प्र. विभाग द्वारा निर्धारित मंडल एवं आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचनाएं/प्रमाण पत्र के आधार पर किया गया है. अगर भविष्य में जाल सूचनाएं/प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं या आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का संतोषपूर्वक रूप से निर्वहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते हुये आपको कार्यमुक्त किया जा सकता है। कार्यमुक्त होने की स्थिति में पुनः उसी या अन्य किसी अंगनवाडी केन्द्र पर सेविका/सहायिका के पद के लिए आपका दावा मान्य नहीं होगा। स्थान न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में पारित आदेश के आलोक में पुनर्बहाल किया जा सकेगा।
- 3. सहायिका/सहायिका के रूप में आपका चयन केन्द्र के सेवा क्षेत्र तथा सीमित कार्य के लिए ही किया जा रहा है।
- 4. यह एक सामाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु सामाजिक भाव्य करने के लिए ईच्छुक रहने वाली योजना के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं केन्द्र के संचालनाध्यक्ष विभाग पर कार्य का दायर नाराज न करने का आधार नहीं होगा।

मैं चयन पत्रिका
 रखूँ प्रति लिखि पाई
 सिन्धु देवी (सेविका)
 केन्द्र संख्या - 97

बाल विकास परियोजना कार्यालय
 नाम एवं हस्ताक्षर (मुख्य सेविका)
 दिनांक 23/08/13

परिशिष्ट-II

ग्राम विकास परियोजना कार्यालय

पुनर्वास

जिला

20 40

शास.सं.

39-2

दिनांक

17/05/20

चयन पत्र

श्रीमती सुमिता देवी पति श्री विष्णु राम
ग्राम परसौनी बरौली पो. की स्थायी निवासी
ई का आंगनवाड़ी सेविका/सहायिका के रूप में ग्राम/टोला/मुहल्ला परसौनी बरौली के
आंगनवाड़ी केन्द्र (कोड सहित) के
सेवा क्षेत्र के लिए दिनांक को आयोजित लामुकों की समा में लिये गये निर्णय तथा परियोजना
पदाधिकारी के प्रतिवेदन के आलोक में चयन किया जाता है।

2. आपका चयन सेविका/सहायिका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्धारित मानदंडों एवं आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचनाएँ/प्रमाण पत्र के आधार पर किया गया है, अगर भविष्य में उक्त सूचनाएँ/प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं या आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का संतोषप्रद ढंड से निर्वहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते हुए आपको कार्यमुक्त किया जा सकता है। कार्यमुक्त होने की स्थिति में पुनः उम्मीद या अन्य किसी आंगनवाड़ी केन्द्र पर सेविका/सहायिका के पद के लिए आपका दावा मान्य नहीं होगा समझ न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में प्रारित आदेश के आलोक में पुनर्बहाल किया जा सकेगा।

3. सेविका/सहायिका के रूप में आपका चयन केन्द्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही किया जा रहा है।

4. यह एक सामाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु सामाजिक कार्य करने के लिए इच्छुक रहने संबंधी आवेदन के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं केन्द्र के संचालनार्थ किये गये कार्य का दावा सरकारी नौकरी का आधार नहीं होगा।

सुमिता देवी
17/05/20



परिशिष्ट-II

ग्राम विकास परियोजना कार्यालय..... ५११६१

जिला..... पूर्वी - यमुना

ज्ञाप सं. 11

दिनांक 29/08/13

चयन पत्र

श्रीमती..... श्रीमती सुशोभा कुमारी पति श्री चतुरशेखर राम
ग्राम..... खैराना 95 नं० 07 पो..... की स्थायी निवासी
ई का आंगनवाड़ी सेविका/सहायिका के रूप में ग्राम/टोला/मुहल्ला..... के
आंगनवाड़ी केन्द्र (कोड सहित)..... के
सेवा क्षेत्र के लिए दिनांक 16/07/13 को आयोजित लाभुकों की सभा में लिये गये निर्णय तथा परियोजना
पदाधिकारी..... के प्रतिवेदन के आलोक में चयन किया जाता है।

2. आपका चयन सेविका/सहायिका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्धारित मापदंडों एवं आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचनार्थ/प्रमाण पत्र के आधार पर किया गया है, अगर भविष्य में उक्त सूचनार्थ/प्रमाण पत्र गलत पाये जाते है या आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का संतोषप्रद ढंड से निर्वहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते हुए आपको कार्यमुक्त किया जा सकता है। कार्यमुक्त होने की स्थिति में पुनः उसी या अन्य किसी आंगनवाड़ी केन्द्र पर सेविका/सहायिका के पद के लिए आपका दावा अन्य नहीं होगा समस्त न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में पारित आदेश के आलोक में पुनर्बहाल किया जा सकेगा।

3. सेविका/सहायिका के रूप में आपका चयन केन्द्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही किया जा रहा है।

4. यह एक सामाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु सामाजिक कार्य करने के लिए इच्छुक रहने संबंधी घोषणा के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं केन्द्र के संचालनार्थ किये गये कार्य का दावा सरकारी नौकरी का आधार नहीं होगा।

एक प्रति पाई
सुशोभा कुमारी

ग्राम विकास परियोजना कार्यालय

परिशिष्ट-II

बाल विकास परियोजना कार्यालय फतह

जिला पूरबी चम्पारण

क्रमा सं० 239

दिनांक 12/08/13

चयन पत्र

श्रीमती शबनम फातमा पति मो० किरान आलम
 ग्राम बेलघी राम पो. वर्ग 13 की स्थायी निवासी है।
 का आंगनवाड़ी सेविका/सहायिका के रूप में ग्राम/टोला/मुहल्ला वर्ग 13 के
 आंगनवाड़ी केंद्र (कोड सहित) वर्ग 13, कोड 100
 सेवा क्षेत्र के लिए दिनांक 14/08/13 को आयोजित लाभुकों की सभा में लिये गये निर्णय तथा
 परियोजना अधिकारी फतह के प्रतिवेदन के आलोक में
 चयन किया गया है।

- आपका चयन सेविका/सहायिका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आई सी डी एस निदेशालय द्वारा निम्नलिखित मापदंडों एवं आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचनाएँ/प्रमाण पत्र के आधार पर किया गया है, अगर भविष्य में उक्त सूचनाएँ/प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं या आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का सतोषप्रद ढंग से निर्वहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते हुये आपको कार्यमुक्त किया जा सकता है। कार्यमुक्त होने की स्थिति में पुनः उसी या अन्य किसी आंगनवाड़ी केंद्र पर सेविका/सहायिका के पद के लिए आपका दावा मान्य नहीं होगा। सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में पारित आदेश के आलोक में पुनर्बहाल किया जा सकेगा।
- सेविका/सहायिका के रूप में आपका चयन केंद्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही किया जा रहा है।
- यह एक सामाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु सामाजिक कार्य करने के लिए इच्छुक रहने संबंधी घोषणा के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं केंद्र के संचालनार्थ किये गये कार्य का दायि सार्वभौम नौकरी का आधार नहीं होगा।

बाल विकास परियोजना कार्यालय फतह का
 नाम एवं हस्ताक्षर (मुद्रा सहित) के साथ
 बाल विकास परियोजना कार्यालय फतह
 पताही (पूर्वी चम्पारण)

चयन पत्र का एक प्रतिलिपि
 श्रीमती फातमा शबनम फातमा

परिशिष्ट-II

बाल विकास परियोजना कार्यालय पताही

जिला पूर्वी चम्पारण

क्रमा सं० 239-1

दिनांक 12/08/13

चयन पत्र

श्रीमती सिन्धु देवी पति श्री पिन्डु कुमार जो
 ग्राम बेनाधीराम पो. का स्थायी निवासो है.
 का आंगनवाडी सेविका/सहायिका के रूप में ग्राम/टोला/मुहल्ला वाड 13 के
 आंगनवाडी केन्द्र (कोड सहित) 100 के
 सेवा क्षेत्र के लिए दिनांक 14/08/13 को आयोजित लामुकों की सभा में लिये गये निर्णय तथा
 परियोजना महाधिकारी पताही के प्रतिवेदन के आलोक में
 चयन किया जाता है।

- आपका चयन सेविका/सहायिका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्धारित मापदंडों एवं आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचनाएँ/प्रमाण पत्र के आधार पर किया गया है। अगर भविष्य में उक्त सूचनाएँ/प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं या आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का संतोषप्रद ढंग से निर्वहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते हुये आपको कार्यमुक्त किया जा सकता है। कार्यमुक्त होने की स्थिति में पुन उसी या अन्य किसी आंगनवाडी केन्द्र पर सेविका/सहायिका के पद के लिए आपका दावा मान्य नहीं होगा। सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में पारित आदेश के आलोक में पुनर्बहाल किया जा सकेगा।
- सेविका/सहायिका के रूप में आपका चयन केन्द्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही किया जा रहा है।
- यह एक सामाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु सामाजिक कार्य करने के लिए इच्छुक रहने संबंधी घोषणा के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं केन्द्र के संचालनार्थ किये गये कार्य का दावा सरकारी नौकरी का आधार नहीं होगा।

चयन पत्र का रक
 प्रति लिपि पत्र
 सिन्धु देवी
 केन्द्र सं० 100 सहायिका

बाल विकास परियोजना महाधिकारी के
 नाम एवं हस्ताक्षर (सहायिका के साथ)
 पताही

परिशिष्ट-II

बाल विकास परियोजना कार्यालय पताही

जिला पूर्वी चम्पारण


क्रमा सं० 239

दिनांक 17/08/13

चयन पत्र

श्रीमती शबनम फातमा पति मो० किरान आलम
 ग्राम बेलाही राम पो. पार्स, 13 की स्थायी निवासी है,
 का आंगनवाड़ी सेविका/सहायिका के रूप में ग्राम/टोला/मुहल्ला पार्स, 13 के
 आंगनवाड़ी केंद्र (कांड सहित) वार्ड 13, बिस्वा 100 के
 सेवा क्षेत्र के लिए दिनांक 14/08/13 को आयोजित लामुकों की सभा में लिये गये निर्णय तथा
 परियोजना के परिणामों पताही के प्रतिवेदन के आलाोक में
 चयन किया गया है।

- आपका चयन सेविका/सहायिका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आई सी डी एस निदेशालय द्वारा निर्धारित मापदंडों एवं आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचनाएँ/प्रमाण पत्र के आधार पर किया गया है। अगर भाविष्य में उक्त सूचनाएँ/प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं या आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का सतोषप्रद ढंग से निर्वहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते हुये आपको कार्यमुक्त किया जा सकता है। कार्यमुक्त होने की स्थिति में पुनः उसी या अन्य किसी आंगनवाड़ी केंद्र पर सेविका/सहायिका के पद के लिए आपका दावा मान्य नहीं होगा। सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में पारित आदेश के आलोक में पुनर्बहाल किया जा सकेगा।
- सेविका/सहायिका के रूप में आपका चयन केंद्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही किया जा रहा है।
- यह एक सामाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु सामाजिक कार्य करने के लिए इच्छुक रहने संबंधी घोषणा के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं केंद्र के संचालनाथ किये गये कार्य का दावा सरकारी नौकरी का आधार नहीं होगा।


 बाल विकास परियोजना कार्यालय का
 नाम एवं हस्ताक्षर (मुद्रा के साथ)
 पताही (पूर्वी चम्पारण)

चयन पत्र का एक प्रतिलिपी
 मंत्र पार्स शबनम फातमा